वन्य जीव (संरक्षण)
अधिनियम
1972

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 53)

देश की परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अभिपियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिस पर इसका विस्तार है, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत कर तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिये और विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं - - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

*(1) "प्राणी" के अन्तर्गत स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जलस्थल चर, मत्स्य, अन्य रज्जुमान तथा अकशेरुकी और उनके बच्चे तथा अंडे है;

(2) **"प्राणी-वस्तु"** से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो पीड़क जन्तु से भिन्न किसी बंदी या वन्यप्राणी से बनी है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ है, जिससे ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है, और भारत में आयोजित हाथी दांत तथा उससे अनी वस्तुएं;

(3) **[विलोपित]**

(4) **"बोर्ड"** से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य वन्यजीव बोर्ड अभिप्रेत है;

(5) **"बंदी प्राणी"** से अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई प्राणी अभिप्रेत है जो पकड़ा गया या बंदी हालत में रखा गया है अथवा बंदी हालत में प्रजनित हुआ है;

(6) [विलोपित]

(7) **"मुख्य वन् जीव संरक्षक"** से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उस रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(7क) **"सर्कस"** से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या चल, जहां पूर्णतया या मुख्यतया करतब या कलाबाजियां दिखाने के प्रयोजन के लिए प्राणी रखे या प्रयोग किए जाते हैं;

(8) **[विलोपित]**

(9) **"कलेक्टर"** से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी या उप कलेक्टर की पंक्ति से अनिम्न का ऐसी कोई अन्य अधिकारी, जो इन निमित्त धारा 18ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जए, अभिप्रेत है;

(10) **"इस अधिनियम के प्रारंभ" से :-**

(क) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य में इस अधिनियम का प्रारंभ अभिप्रेत है;

(ख) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में संबद्ध राज्य में उस उपबंध का प्रारंभ अभिप्रेत है;

(11) **"व्यौहारी"** से किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, मांस या विनिर्दिष्ट का कारबार करता है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो इनमें से किसी एकल संव्यवहार में सम्मिलित है;

(12) **"निदेशक"** धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वन्य जीव परिरक्षण निदेशक क रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(12क) **"वन अधिकारी"** से भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 के खण्ड (2) के आधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियुकत किया गया वन अधिकारी के अधीन नियुक्त किया गया वन अधिकारी अभिप्रेत है;

(12ख) ''वन उत्पादन'' पद का वही अर्थ है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 3 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) में है;

(13) **[विलोपित]**

(14) **"सरकारी संपत्ति"** से धारा 399 या धारा 17ज में निर्दिष्ट कोई संपत्ति अभिप्रेत है;

(15) **"आवास"** के अन्तर्गत ऐसी भूमि, जल और नवस्पति है जो किसी वनयप्राणी का प्राकृतिक गृह है;

(16) व्याकरणिक रुप भेदों और सजातीय पदों सहित ''आखेटन'' के अन्तर्गत है:-

(क) किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न;

(ख) किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फासना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रयत्न;

(ग) किसी ऐसे वन्यप्राणी के शरीर के किसी भाग को खतिग्रस्त करना; या नष्ट करना या लेना अथवा वन्य पक्षियों या सरीयृपों के अंडों या घोंसलों को गड़बड़ाना;

(17) **"भूमि"** के अन्तर्गत है नहरें, संकरी खाडियां और अनय जल सरणियां, जलाशय, नदियां, सरिताएं और झीले, चाहे वे कृत्रिम हों या प्राकृतिक, दलदल और आर्द्र भूमि तथा इसके अन्तर्गत वोल्डर और चट्टानें भी हैं;

(18) **"अनुज्ञप्ति"** से इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;'

(18क) **"पशुधन"** से कृषि में काम आने वाले पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरा, भेड़, धोड़ा, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, पालतु मुर्गियां और उनके बच्चे आते हैं लेकिन इसमें अनुसूची 1 से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई प्राणी नहीं है;

(19) **"विनिर्माता"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूची 1 से अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में विनिर्दिश्ट यथास्थिति, किसी प्राणी या पादप से, वस्तुएं विनिर्मित करता है;

(20) **"मांस"** के अन्तर्गत है, पीड़क जन्तु से भिन्न, किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी का रक्त, उसकी हड्डीयां, स्नायु, अंडे, कवच या पृश्ठ वर्म, चर्बी और गोश्त, खाल के साथ या उसके बिना, चाहे वे कच्चे हों या पकाए हुए हों;

(20क) **"राष्ट्रीय बोर्ड"** से धारा 5क के अधीन गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(21) **"राष्ट्रीय उपवन"** से ऐसा क्षेत्रा अभिप्रेत है जो धारा 35 या धारा 38 के अधीन राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित किया गया है और जो धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय उपवन धोषित किया गया समझा जाता है;

(22) **"अधिसूचना"** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(23) **"अनुज्ञापत्र"** से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दिया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(24) **"व्यक्ति"** के अन्तर्गत फर्म है;

(25) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(25क) **"मान्यता प्राप्त चिडियाघर"** से धारा 38ज के अधीन मान्यता प्रापत चिडियाघर अभिप्रेत हैं;

(25ख) **"आरक्षित वन"** से राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 20 के अधीन आरक्षित करने के लिए घोषित वन अभिप्रेत है;

(26) **"अभ्यारण्य"** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन अीयारण्य के रुप में अधिसूचित किया गया है ओर इसके अन्तर्गत धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यारण्य समण गया क्षेत्र भी है;

(27) **"निविद्रिष्ट पादप"** से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट कोई पादप अभिप्रेत है;

(28) **[विलोपित]**

(29) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया है;

(30) व्याकरणिक रुपभेदों और सजातीय पदों सहित "चर्म प्रशसन" से ट्राफियों का संसाधन उनको तैयार करना या उनका परिरक्षण या आरोपण अभिप्रेत है;

(30क) **"राजयक्षेत्रीय सागर खण्ड"** का वही अर्थ है जो राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्विपीय मग्रतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रा अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 3 में है;

(31) **'ट्राफी"** से पीड़कजन्तु से भिन्न कोई पूरा बंदी प्राणी या वन्यप्राणी या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसे किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कृत्रिम हों या प्राकृतिक, रखा या परिरक्षित किया गया है, और इसके अन्तर्गत है -

(क) ऐसे प्राणी के चर्म, त्वचा और नमूने जो चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः या भागतः मढ़े गए हैं, और

(ख) हिरण का सींग, हड्डी, पृष्ठ वर्म, कवच, सींग , गैंडे का सींग, बाल, पंख, नाखून, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी, अंडे, घेंसले और मधुमक्खी छत्त;

(32) **"अंससाधित ट्राफी"** से पीड़त जन्तु से भिन्न कोई पूरा बंदी प्राणी या वन्यप्राणी या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिस पर चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया नहीं हुई है और उसके अन्तर्गत ताजा मारा गया वन्यप्राणी, कच्चा अंबर, कस्तूरी और अन्य प्राणी उत्पाद है;

(33) **"यान"** से भूमि, जल या वायु में संचलन के लिए प्रयुक्त सवारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गधा, घोड़ा और खच्चर हैं;

(34) **"पीड़कजन्तु"** में अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई वन्यप्राणी अभिप्रेत हैं;

(35) **'आयुध"** के अन्तर्गत गोला बारुद, धनुष और बांण, विस्फोटक, अग्यायुध, कांटे, चाकू, जाल, विष, फंदे तथा कोई ऐसा उपकरण या साधित्रा है जिससे किसी प्राणी को संवेदनाहत किया जा सकता है, धोखे से पकड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सका है, क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, या मारा जा सकता है;

(36) **"वन्यप्राणी"** से ऐसी प्राणी अभिप्रेत है जो अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है और प्रकृति से ही वन्य है;

(37) **"वन्यजीव"** के अन्तर्गत जलीय या भूवनस्पतिक ऐसा कोई प्राणी है जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है;

(38) **"वन्य जीव संरक्षक"** से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड के अधीन उस रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(39) **"चिड़ियाघर"** से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या चल, जहां बंटी प्राणी सर्वसाधारण के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं और इसके अन्तर्गत सर्कस और बचाव केन्द्र भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई स्थापन नहीं है।